न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 37/2015

उनवान

मृतक देवा पिता कलजी जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा के वारिसानः—

1/1. गटुलाल पिता देवा जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

1/2. जयन्तिलाल पिता देवा जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

1/3. बापुलाल पिता देवा जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

1/4. रूपी बेवा देवा जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

2. भगवतीलाल पिता नानु जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
3. कपिल पिता नानु जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा।
4. मनजी पत्रु अमरजी जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
5. लील बेवा अमरजी जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
6. रेशमा बेवा नानु जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: वादीगण

बनाम

1. नानु पिता खातु, जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
2. भीखा पिता कमा जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
3. कुरिया पिता सुका जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
4. वासु पिता कुरिया जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
5. बन्सी पिता खातु जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
6. मनजी पिता रामेंग जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
7. गणेश पिता लालु जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
8. कुबेर पिता हकरिया जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
9. नानु पिता धुला जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
10. बदिया पिता कुगा जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा, आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
11. मांगीलाल पिता कुगा जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
12. कचरा पिता वकला जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
13. मना पिता नाथु जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
14. फकीरा पिता नाथु जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:13:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

15. गटु पिता गौतम जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
16. जगु पिता कलिया जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
17. राजु पिता कचरा जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
18. रावजी पिता भेमा जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
19. रमेश पिता भेमा जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
20. शंकर पिता खातु जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
21. रमण पिता दितियाजाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
22. पुंजा पिता मंगलिया जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 27.3..2025

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 891 नया 769 पुराना के खसरा संख्या 5435 रकबा 0.23 हेक्टर भुमि वाके गांव आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा मे स्थित है। जिस पर वादीगण एकमात्र खातेदार कृषक है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक या अधिकार नहीं है। किन्तु फिर भी प्रतिवादीगण गैर कानूनी, नाजायज तरीके से उक्त खाते की कृषि भूमि में आज से 5 वर्ष पूर्व अपने मकान और झोपडियां व बाडे बनाकर अवैध रूप अतिक्रमण कर लिया है। प्रतिवादीगण ने पूर्व में सन् 2010 में उक्त खाते की भूमि में झोपडिया मकान बना लिये थे, जिस पर वादीगण द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान द्वारा तत्कालीन गिरदावर, पटवारी आदि को मौके पर भेजकर जॉच करवाई थी, जिसमें उन्होने भी यह पाया था कि वादीगण की उक्त खाते की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से झोपडियां, मकानात बना लिये है और उन्हे उक्त खाते की भूमि में मकान और झोपडियां हटाने का आदेश दिया था, जिस पर उक्त लोगो के अलावा कुछ अन्य लोगो ने अपने मकानात व झोपडियां हटाकर रिक्त कब्जा वादीगण को सुपूर्द कर दिया था। परन्तु प्रतिवादीगण आजकल का बहाना बनाकर आज तक उक्त खाते की भूमि में आज से 5 वर्ष पूर्व बनाये गये अपने मकानात और झोपडीयों को हटाया नहीं है। इसलिये वादीगण का वाद हेतु आज से 5 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ। वादीगण द्वारा कब्जा कटाने हेतु प्रतिवादीगण को कहने पर प्रतिवादीगण जान से मार देने की धमकीयां देते है इसलिये वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में बताया कि प्रतिवादीगण के मकान वर्षो से बने हुए होकर 03 पीढिया इसमें निकल गई है। प्रतिवादीगण ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। प्रतिवादीगण के मकान 15 [illegible] अधिक समय से बने हुए है। जवाब के समर्थन में प्रस्तुत पुष्पा देवी पत्नी [illegible] कुहगा, शंकर पिता खातु, कुबेर पिता हकरीया, पुजी पत्नि भेमा खॉट, बदीया खॉट [illegible] पिता [illegible]रीया, मलास पत्नी कमा, बंसीलाल पिता खातु, कचरा पिता वकला, धुरी पत्नी [illegible] रावजी पिता भेमा मना पिता नाथु, पोजा पिता मंगलीया, नानु पिता खातु, कुरीया पिता सुखा, लक्ष्मा पत्नी गोतम, नानु पिता धुला एवं फकीरा पिता नाथु के मकान के फोटोग्राफ, राशन कार्ड, इनकी वोटर आंई. डी. कार्ड एवं मांगीलाल पिता कुहगा का सन् 1997 के विद्युत कनेक्शन बिल पेश कियें।मौके पर कभी भी कोई लडाई झगड़ा नहीं

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:13:25 IST
Reason: SelfAttested

हुआ। वादीगण का वाद म्याद बाहर होने एवं प्रतिवादीगण का 150 वर्षो से अधिक समय से कब्जा होने से वाद खारीज होने योग्य बताया।

वादीगण द्वारा दावा एवं दावे साथ प्रस्तुत दस्तावेज तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजो के आधार पर प्रकरण में तनकियात् कायम की गई।

प्रकरण में वादीगण के [illegible] साक्ष्य के रूप में pw-1 देवा पिता कलजी का शपथ–पत्र पेश हुआ। वादीगण द्वारा [illegible] प्रस्तुत अभिलेख p-1 जमाबंदी संवत् 2067 से 70 प्रदर्श करायी जाकर गवाह [illegible] अवगत कराया गया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के मकान (वाद [illegible] से पूर्व) 05 अवधि में बनाये गये है।बन्शीलाल के मकान में लाईट 1997 में लगी है [illegible] प्रतिवादीगण के मकान 40–45 वर्ष से बने हो यह गलत है। पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 10:13:25 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में बकुलाय की बहस सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया की वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर निर्माण किया गया है जिसे हटाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया की कब्जा व निर्माण वर्षो पूर्व का है। विद्युल बिल,फोटोग्राफ तथा दस्तावेज लगे हुएहै। वाद म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन् करने एवं पत्रावली में प्रस्तुत वाद, वाद संलग्न प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2067 से 70 तथा प्रतिवादीगण का जवाब व जवाब के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज, फोटोग्राफ एवं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ–पत्र, प्रदर्श दस्तावेज आदि का संक्षिप्त अवलोकन किया जाकर प्रकरण में तनकिवार निर्णय निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या 01:–आया वादीगण के एक मात्र संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि वाके ग्राम आंजना की खाता संख्या 891 (नया) 769 (पुराना) के सर्वे नम्बर 5435 रकबा 0.23 हे0 भूमि स्थित है।
(वादीगण साबित करे)

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख (जमाबंदी) खाता संख्या 891 (नया) 769 (पुराना) संवत् 2067 से 70 प्रदर्श–1 प्रस्तुत की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में वादी देवा द्वारा शपथ–पत्र एवं साक्ष्य में यह अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 891 (नया) सर्वे नम्बर 5435 रकबा 0.23 हे0 भूमि वादीगण के एक मात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर उक्त खसरा नम्बर 5435 ग्राम आंजना पटवार हल्का आंजना की भूमि वादीगण की संयुक्त स्वामित्व की है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02:–आया वादीगण की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने वाद प्रस्तुत करने से 5 वर्ष पूर्व अपने मकान और झोपड़िया व बाड़े बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिसे हटाया जाने के लिये यह वाद प्रस्तुत किया गया है।
(वादीगण साबित करे)

वादी द्वारा अपनी साक्ष्य के रूप में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर यह अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के मकान 40–45 वर्ष पूर्व बने नहीं होकर 05 वर्ष की अवधि (सन् 2010 के आस–पास) में बने है। किन्तु वादीगण द्वारा उक्त तनकीको सिद्ध करने हेतु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।जिससे यह साबित हो की प्रतिवादीगण द्वारा वाद दर्ज होने के 05 वर्ष पूर्व की अवधि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया है।प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी केविरूद्ध पुष्पा देवी पत्नी कचरा व अन्य के मकान के फोटोग्राफ, विद्युत बिल व दस्तावेजो के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा 05 पूर्व (वाद दर्ज होने के) नहीं किया जाकर इसके पूर्व से ही चला आरहा है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03:–आया उक्त भूमि में प्रतिवादीगण के मकान बने हुए होकर इस पर तीन पिढ़ीया रह कर निकल गई है। प्रतिवादीगण के उक्त भूमि में हमारे पूर्वजो के समय करिबन 150 वर्ष पूर्व से

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

अधिक पुराने मकान बने हुए है। वादीगण ने म्याद बाहर दावा पेश किया है। वादीगण का वाद म्याद बाहर होने से खारीज फरमावें। (वादीगण साबित करे)

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में प्रस्तुत पुष्पा देवी पत्नी कचरा, मॉगीलाल पिता कुहगा, शंकर पिता खातु, कुबेर पिता हकरीया, पुजी पत्नि भेमा खॉट, बदीया खॉट वासु पिता कुरीया, गलाप पत्नी कमा, बंसीलाल पिता खातु, कचरा पिता वकला, धुरी पत्नी खातु मंजु बेवा गटु, रावजी पिता भेमा मना पिता नाथु, पोजा पिता मंगलीया, नानु पिता खातु, कुरीया पिता सुखा, लक्ष्मी पत्नी गोतम, नानु पिता धुला एवं फकीरा पिता नाथु के मकान के फोटोग्राफ, राशन कार्ड, इनकी वोटर आई. डी. कार्ड एवं मांगीलाल पिता कुहगा का सन् 1997 के विद्युत कनेक्शन के आधार पर प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा एवं मकान 05 वर्ष पूर्व का नहीं होकर इससे पुराना हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 अनुतोषः–तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में एवं तनकी संख्या 02 व 03 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

(श्रवण सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादीगण की ओर से प्रस्तत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.3.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:13:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 37/2015

उनवान

मृतक देवा पिता कलजी जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा के वारिसानः–

1/1. गटुलाल पिता देवा जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

1/2. जयन्तिलाल पिता देवा जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

1/3. बापुलाल पिता देवा जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

1/4. रूपी बेवा देवा जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

2. भगवतीलाल पिता नानु जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
3. कपिल पिता नानु जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
4. मनजी पत्रु अमरजी जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
5. लील बेवा अमरजी जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
6. रेशमा बेवा नानु जाति भील निवासी आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

–: वादीगण

बनाम

1. नानु पिता खातु, जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
2. भीखा पिता कमा जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
3. कुरिया पिता सुका जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
4. वासु पिता कुरिया जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
5. बन्सी पिता खातु जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
6. मनजी पिता रामेंग जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
7. गणेश पिता लालु जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
8. कुबेर पिता हकरिया जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
9. नानु पिता धुला जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
10. बदिया पिता कुगा जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
11. मांगीलाल पिता कुगा जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
12. कचरा पिता वकला जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
13. मना पिता नाथु जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
14. फकीरा पिता नाथु जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
15. गटु पिता गौतम जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:13:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

16. जगु पिता कलिया जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
17. राजु पिता कचरा जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
18. रावजी पिता भेमा जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
19. रमेश पिता भेमा जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
20. शंकर पिता खातु जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
21. रमण पिता दितियाजाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
22. पुंजा पिता मंगलिया जाति भील निवासी नवाटापरा मजरा आंजना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 27.3.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 27.3.2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:13:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा